(122)

पत्रांक -I प्रा0आ0-05/2007.....1023...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर॰ के॰ सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना-15, दि0- 2/4/08

विषय : राज्य के कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अग्निकांड से खेत और खलिहान के फसल की क्षति को सी0आर0एफ0 के अनुमान्य मदों में समावेशित करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गयी थी। विभागीय पुनर्समीक्षा में यह स्थिति सामने आयी कि सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत केन्द्रीय मानदर के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के निर्धारित कृषि इनपुट अनुदान का मानदर अग्निकांड से फसल क्षति (खेत एवं खलिहान) में भी लागू होगा । इस बिन्दु की सम्पुष्टि हेतु विभागीय पत्रांक -1127 दि0-4.4.2007 द्वारा भारत सरकार, गृहमंत्रालय से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने इसे संपुष्ट किया है।

तत्पश्चात भारत सरकार के पत्र संख्या 32-34/2005/ए0डी0एम0-I दिनांक 27.02.2007 से निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (वर्ष 2005-2010 के लिए) प्राप्त हुआ। इस परिचारित मानदर की मद संख्या 29 (1) में प्राकृतिक आपदा फायर (अग्निकांड) के लिए वर्त्तमान मानदर में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अग्निकांड के पश्चात दी जानेवाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात जीवन, अंग, **फसल**, संपत्ति इत्यादि की क्षति/हानि के मदों में निर्धारित है तथा साहाय्य की अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी।

अत: यह स्पष्ट है कि कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में वर्त्तमान मानदर के अनुसार साहाय्य निम्न रूप से देय होगा; जहां फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।

(121)

3. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/सीमान्त कृषकों को साहाय्य: 50% एवं अधिक फसल की क्षति होने पर ।	
(i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए।	➢ **2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए ।** ➢ **4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए ।** (क) परती (fallow) पड़े जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
(ii) "पेरिनियल" (शाश्वत्) फसल के लिए।	**6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर** सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए। (क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नही दिया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
4. लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक; अनुवर्त्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक (उनके land holding अधिक ही क्यों नहीं हो) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा । ➢ **2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर** वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ **4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर,** सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ **6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर,** सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। ○ बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा।

(120)

कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी -

अग्निकांड की घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय अंचलाधिकारी अविलम्ब परन्तु किसी भी हालत में 24 घंटे के अन्दर उसकी जांच कराएंगे। जांच हल्का कर्मचारी तथा VLW की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। जांच उपरान्त निम्न बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन होगा:

i. खेत अथवा खलिहान में आग लगने से निश्चित रूप से फसल की क्षति हुई है।
ii. जिस फसल की क्षति हुई है, उसका विवरण तथा फसल किस खेत में लगाया गया था, उसका विवरण तथा सत्यापन।
iii. यह सत्यापित करेंगे कि क्षति उक्त भूमि के वास्तविक उपज का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है अथवा नहीं ।
iv. जिन परिवारों की फसल की क्षति हुई उनका विवरण वे लघु/सीमान्त कृषक परिवार हैं या भिन्न।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन का अंचल निरीक्षक तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करेंगे। उपर्युक्त सत्यापन के पश्चात अग्निकांड में हुई फसल क्षति का ब्यौरा अंकित करते हुए कृषक के नाम से अभिलेख तैयार की जाएगी तथा स्पष्ट अुनसंशा के साथ घटना के कारणों तथा क्षति का ब्यौरा अभिलेख में अंकित करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से जांच कराकर एवं संतुष्ट होकर अभिलेख की स्वीकृति देंगे तथा प्रभावित परिवार को निर्धारित मानदर के अनुरूप अनुदान का भुगतान अंचल पदाधिकारी के द्वारा चेक के माध्यम से की जाएगी। अनुदान का भुगतान मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष 0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मद से की जाएगी। आवंटन में कमी होने या अनुपलब्धता पर जिला पदाधिकारी पूर्व के आवंटन के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अतिरिक्त आवंटन की मांग करेंगे, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग नियमानुसार तथा बजट में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर यथोचित कार्रवाई तत्परता से करेगा ।

विश्वासभाजन,

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/08

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

(118)

ज्ञापांक - I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/08.

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त / निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/08

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव